राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं.एफ.6(179)परि / टैक्स / एचक्यू / 95 / 11 आई   जयपुर, दिनांकः 19.04.02

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभागीय अधिसूचना सं. एफ.6 (179)परि. / टैक्स / एचक्यू / 95 / 11 जी दिनांक 22.07.2000 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निमनलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

<u>संशोधन</u>

उक्त अधिसूचना में,

1. खण्ड 2 में, विद्यमान उपखण्ड (i) एवं (ii) और उनकी प्रविष्ठियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(i)	ड्राईवर को छोड़कर 4 तक की सीट क्षमता वाले	यान की लागत का 0.80%
(ii)	ड्राईवर को छोड़कर 4 से अधिक किन्तु ड्राईवर को छोड़कर 8 तक की सीट क्षमता वाले	यान की लागत का 1.75%

2. खण्ड 2 के नीचे आये विद्यमान परन्तुक (3) के पश्चात् नया परन्तुक (4) निम्न प्रकार जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"विशेष सड़क कर इस प्रकार सीमित किया जायेगा कि अनन्य रूप से एक जिले में संचालित विंटेज कार टैक्सी के लिये मोटर यान कर तथा विशेष सड़क कर को सम्मिलित करते हुए कर की कुल रकम 1200 रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो ।"

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव